

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)  
राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 43/2008

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नि स्व० श्री भंवरलाल उम्र करीबन 55 वर्ष
2. नन्दाराम पुत्र स्व० श्री भंवरलाल उम्र करीबन 35 वर्ष
3. देवाराम पुत्र स्व० श्री काना (फौत)
- 3/1 सायरी देवी पत्नि स्व० देवाराम उम्र करीबन 45 वर्ष
- 3/2 रामस्वरूप पुत्र स्व० देवाराम उम्र करीबन 25 वर्ष
- 3/3 राजू पुत्र स्व० देवाराम उम्र करीबन 22 वर्ष
- 3/4 नन्दू पुत्र स्व० देवाराम उम्र करीबन 28 वर्ष
- 3/5 सन्ना देवी पुत्री स्व० देवाराम उम्र करीबन 23 वर्ष
- 3/6 पूजा देवी पुत्री स्व० देवाराम उम्र करीबन 25 वर्ष
4. छीतर पुत्र स्व० काना (फौत)
- 4/1 श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० छीतर
- 4/2 मुकेश पुत्र स्व० श्री छीतर
- 4/3 सुरेश पुत्र स्व० श्री छीतर नाबालिग जरिये माता श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० छीतर
- 4/4 रतन पुत्र स्व० श्री छीतर नाबालिग जरिये माता श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० छीतर
- 4/5 पूजा पुत्री स्व० श्री छीतर नाबालिग जरिये माता श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० छीतर

बनाम

1. श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व० काना
2. दिनेश पुत्र स्व० काना
3. नरेन्द्र पुत्र स्व० काना
4. हेमराज पुत्र स्व० काना
5. विनोद देवी पुत्री स्व० काना
6. ममता पुत्री स्व० काना
- सर्व जाति नाई सर्व निवासीगण ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज० ।
7. शान्ति देवी पत्नी स्व० माना
8. ओमप्रकाश पुत्र स्व० माना
9. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व० माना
10. चन्दना देवी पुत्री स्व० माना
11. रेणु देवी पुत्री स्व० माना
- क्रम सं० 9, 10, 11 नाबालिग जरिये संरक्षिका प्राकृतिक माता शांति देवी पत्नि स्व० माना
- सर्व जाति नाई सर्व निवासीगण ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी राम मंदिर की तरफ, रेल्वे लाईन के पास, चुना भट्टा के पास, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
12. तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर  
वकील अप्रार्थी श्री परमानन्द शर्मा

दिनांक 10.09.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। जिसमें वादीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इस कारण वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के दादा, श्वसुर, के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम खातौली पटवार हल्का खातौली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर वर्तमान 50 रकबा 06 बीघा किस्म बारानी 03 है। उपरोक्त वर्णित आराजी को प्रार्थीया संख्या 1 के श्वसुर, प्रार्थी संख्या 2 के दादा व प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता स्व० श्री काना पुत्र नारायण जाति गुर्जर द्वारा अपने पुत्रगण अर्थात्



उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़



भँवरलाल (प्रार्थी संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 के पिता) व प्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम से दिनांक 12.12.1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के दादा श्वसुर, अर्थात् सुवा वल्द चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र से खरीद कर मौके पर कब्जा संभला दिया गया था। जो आज दिन तक प्रार्थीगण का कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वज स्व० काना पुत्र नारायण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वज सुवा वल्द चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र से क्रय करने के बाद बैचान रजिस्ट्री दिनांक 12.12.1973 का सहवन से व राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की घोर लापरवाही से जरिये बैचान का नामान्तरण नहीं खुला। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अशुद्ध विरासत का नामान्तरण खुलवाने पर उतारू है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काशत प्रमाण संवत् 2030 से 2033 की गिरदावरी एवं विक्रय पत्र दिनांक 12.12.1993 से साबित होता है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण विक्रय पत्र का नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम नहीं खुला। प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा क्रय की गयी आराजी में काबिज काशत है एवं क्रय की दिनांक 12.12.1973 से आज दिनांक तक उक्त आराजी में काबिज काशत है एवं प्रार्थीगण द्वारा शारीरिक श्रम व हजारो रुपयो का आर्थिक खर्च करके वादग्रस्त आराजी को कृषि योग्य बनाया है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार कानूनन परिपक्त हो चुके है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के खातेदारी अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 (7) के तहत अवसान हो चुके है। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा क्रय की गयी आराजी में काबिज काशत है एवं क्रय की दिनांक 12.12.1973 से आज दिनांक तक उक्त आराजी में काबिज काशत है एवं प्रार्थीगण द्वारा शारीरिक श्रम व हजारो रुपयो का आर्थिक खर्च करके वादग्रस्त आराजी को कृषि योग्य बनाया है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार कानूनन परिपक्त हो चुके है। एवं अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 (7) के तहत अवसान हो चुके है। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने पक्ष में विरासत का नामान्तरण खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश करे तो अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार का रद्दोबदल अर्थात् परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करे एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है चूंकि खातेदार द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 12.12.1973 को निष्पादित किया तब से आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर शांति पूर्वक अबाध रूप से लगातार काबिज काशत कर रहे है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है चूंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर शांति पूर्वक काशत कर रहे है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से करना संभव नहीं होगी। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में उल्लेखित कृषि भूमि पर बहक प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा तामूल वाद फैसला पारित की जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काशत में अप्रार्थीगण एवं अन्य दीगर व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, अड़चन, उत्पन्न नहीं करे, एवं प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, इस हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द - फरमावे। प्रार्थीगण की कृषि आराजी में किसी प्रकार का जबरन हस्तक्षेप नहीं करे, एवं शून्य नामान्तरण के आधार पर राजस्व रिकोर्ड व मौके में किसी प्रकार का परिवर्तन अर्थात् मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2008 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र में दिनांक 07.06.2008 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 15.07.2010 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 24.01.2011 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 03,04 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 02.11.2011 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का पेश किया, दिनांक 12.11.2018 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 09.09.2020 को स्वीकार किया गया। दिनांक 13.03.2024 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 09, 10, 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।
3. अप्रार्थी संख्या 07 व 08 की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के कथन में यह स्वीकार है कि माननीय न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। शेष कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। वादीगण को किसी तरह की सफलता मिलने की संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। जवाबकर्ता के पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजों को उक्त वर्णित दिनांक को विक्रय नहीं की है। न ही किसी तरह का कब्जा संभलाया गया था। इस कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई कब्जा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर नहीं रहा है। न ही आज किसी तरह का कोई कब्जा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के तथ्य प्रार्थीगण के वर्णितानुसार सही नहीं होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण के पूर्वजों के द्वारा किसी तरह की कोई प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वज को बैचान



अखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़

नहीं किया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथाकथित बैनामा फर्जी है। जिसको जवाबकर्तागण के पूर्वजों के द्वारा प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। जवाबकर्तागण के पूर्वज के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण खुला था। उक्त नामान्तरण विधिक नामान्तरण था जिसको कभी भी प्रार्थीगण के द्वारा चेलेन्ज नहीं किया है। बल्कि उक्त नामान्तरण को स्वीकार किया गया है। जवाबकर्तागण के पूर्वज के फोट होने के बाद जवाबकर्तागण के नाम उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण विधिक रूप से खोला गया है। उक्त नामान्तरण को अविधिक व शून्य नामान्तरण बताने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। जवाबकर्तागण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को विधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 12 को बैचान किया गया है। उक्त बैचान भी प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व किया गया था एवं उक्त भूमि का क्रेता के पक्ष में विधिक रूप से नामान्तरण खोला जा चुका है। इस प्रकार उक्त नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। अतः उक्त पैरा के तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण के पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का कभी भी बैचान नहीं किया है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कभी किसी तरह का कोई कब्जा नहीं रहा है। न ही किसी तरह का कोई कब्जा है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पूर्वजों को व प्रार्थी संख्या 03 व 4 को जवाबकर्तागण के पूर्वजों के द्वारा कृषि भूमि का बैचान नहीं किया है। न ही प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता श्री काना पुत्र नारायण को जवाबकर्ता के पूर्वजों द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का बैचान किया है न ही श्री काना से किसी प्रकार की राशि प्राप्त की है। जवाबकर्तागण के द्वारा जिस भूमि का बैचान अपार्थी संख्या 12 को किया गया है। उक्त बैचान विधिक रूप से किया गया है। इस कारण उक्त को अपने हिस्से की भूमि का किसी भी तरीके से उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। उस पर प्रतिबन्ध लगाने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजों को जवाबकर्तागण व उसके पूर्वजों के द्वारा दिनांक 12.12.73 को कृषि भूमि का बैचान नहीं किया गया है। तथाकथित विक्रय पत्र फर्जी है एवं फर्जी तरीके से तैयार किया गया दस्तावेज है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण को किसी तरह का कोई अधिकार उक्त भूमि में न तो कभी प्राप्त हुये है न ही कभी प्राप्त हो सकते हैं। इस कारण प्रार्थीगण किसी तरह की कोई डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 9 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण उक्त पैरा में वर्णितानुसार किसी तरह की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त पैरा के तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 के तथ्य उक्त पैरा में वर्णितानुसार सही नहीं होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण की कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों को पहले से ही जानकारी प्राप्त थी। केवल मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की नियत से ही उक्त पैरा में उक्त तथ्यों का हवाला दिया गया है। जिसमें सच्चाई तनिक मात्र भी नहीं है अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 11 व 12 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण व जवाबकर्तागण के पूर्वजों के द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में किसी तरह से का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है। इस कारण प्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः अस्वीकार है। जवाबकर्तागण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 12 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी है एवं उक्त के आधार पर नामान्तरण खोल दिया गया है उक्त का हवाला प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी दे रखा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 12 को प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बाबत अधिकार प्राप्त हुये हैं। ऐसी स्थिति में जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं किया जाता तब तक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है। न ही माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र के किसी तरह का कोई अधिकार उक्त प्रकरण को श्रवण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज होने योग्य है। जवाबकर्तागण के पूर्वज के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का विक्रय पत्र प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है। न ही जवाबकर्तागण के पूर्वज के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वज को संभलाया गया था। जवाबकर्तागण के पूर्वज प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार थे। उनकी मृत्यु के बाद जवाबकर्तागण विधिक वारिसान होने के कारण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पूर्वज का व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर किसी तरह का कोई कब्जा कभी नहीं रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा फर्जी व कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें सच्चाई तनिक मात्र भी नहीं है। तथाकथित रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित विक्रय पत्र फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है जवाबकर्तागण के पूर्वज के द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में किसी तरह का कोई विक्रय पत्र प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बाबत निष्पादित नहीं किया है। प्रार्थीगण को तथाकथित फर्जी व कुटरचित विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में तथाकथित रूप से जिसके पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया जाना बताया गया है। उसकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। न ही प्रार्थीगण द्वारा इसके विधिक वारिसानों के बाबत सक्षम



उपखण्ड अधिकारी  
किसानों के

न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा राज्य सरकार के अधिनस्थ विभाग को पक्षकारा अप्रार्थी संख्या 13 व 14 के रूप में संयोजित कर उसके विरुद्ध प्रार्थना चाही गई है। परन्तु राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। राज्य सरकार के अधिनस्थ विभाग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने पर राज्य सरकार के विरुद्ध भी प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा राज्य सरकार को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है न ही राज्य सरकार के विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जब कि राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाना विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक है। प्रार्थीगण के द्वारा राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज फरमाते हुये जवाबकर्तागण को विशेष हर्जा खर्चा दिलवाया जावे।

4. दिनांक 10.09.2025 को वकील उभयपक्ष को सुना गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीयागण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते वादग्रस्त भूमि में तथाकथित विक्रय पत्र के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा पाने हेतु पेश किया है किन्तु प्रार्थीयागण द्वारा न्यायालय हाजा में कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया वादअधीन भूमि में प्रार्थीयागण का हक हिस्सा अथवा कब्जा होना जाहिर हो। तथाकथित विक्रय पत्र के अनुसार प्रार्थीयागण के खातेदारी अधिकारों का विश्लेषण तो वाद में साक्ष्य एवं सुनवाई के द्वारा तय किया जायेगा, किन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र का निर्णय धारा 212 राज.का.अधि. के प्रावधानुसार किया जाना है। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरण:- वादअधीन भूमि में प्रार्थीयागण वर्तमान में खातेदार नहीं है, ना ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जिससे उनका वादअधीन भूमि में प्रथम दृष्टया हक जाहिर हो। रिकार्डेड खातेदारान् का वादअधीन भूमि में राजस्व रिकार्ड के अनुसार हक हिस्सा ताईद है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलन:- वादअधीन भूमि पर प्रार्थीयागण काबिज है ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रार्थीयागण द्वारा पेश नहीं किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण जमाबन्दी के अनुसार वादअधीन भूमि पर काबिज है। अतः

सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। अपूरणीय क्षति:- प्रार्थीयागण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो कि अपूरणिय क्षति प्रार्थीयागण को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीयागण सिद्ध करने में असफल रहें हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तनकीवार, साक्ष्य एवं बयानात् से तय किये जायेंगे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो



उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़  
रजत यादव (आई.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)